

इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2026—आश्विन 21, शक 1948

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 2026

क्र. एफ ई फाईल नं. 1535944-2026—नियम—चार.— राज्य शासन, एतद्वारा कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है : —

स.क्र.	नाम/पदनाम एवं विवरण	पद
(1)	(2)	(3)
1.	श्री मलय श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (मुख्य सचिव स्तर) A 12, विस्परिंग पाल्म्स कॉलोनी, केरवा रोड भोपाल (म.प्र.)	अध्यक्ष
2.	श्री अरुण कुमार सिंह, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश 9/12/6, अनंतपुर वार्ड नं. 10, कुबेर तालाब के पास, रीवा (म.प्र.)	सदस्य (न्यायिक सेवा)
3.	श्री बादाम सिंह, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दतिया पीतांबरा मेडिकल स्टोर, कृष्णापुरी, राजघाट कालोनी, दतिया (म.प्र.)	सदस्य

(1)	(2)	(3)
4.	संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य
5.	सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ सचिव में से नामांकित अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य
6.	वित्त विभाग में पदस्थ सचिव में से नामांकित अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य
7.	श्री अजय चौबे, सेवानिवृत्त उपसचिव, वित्त विभाग.	सचिव

(2) आयोग के विचारणीय विषय मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 में निर्धारित अनुसार यथावत रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे संबंधित बिन्दु जो राज्य शासन द्वारा संदर्भित किये जायें।

(3) आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय, अन्य प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार के समकक्ष संवर्गों के पदनाम/वेतनमानों से प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से तुलना, राज्य की आर्थिक स्थिति, राज्य के लोक वित्त के प्रबंधन, राज्य के वित्तीय संसाधनों पर उसके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की दृष्टि से मांग तथा अन्य संबद्ध कारकों का ध्यान रखेगा।

(4) आयोग स्वयं अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करेगा और ऐसी जानकारी तथा साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे। राज्य के विभाग ऐसी सभी जानकारी, दस्तावेज तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे, जिसकी आयोग मांग करेगा।

(5) आयोग अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करेगा। यदि आवश्यक हो तो वह उन विचारणीय विषयों, जिन पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका हो, पर अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(6) आयोग का कार्यकाल आगामी आदेश तक होगा। आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/सचिव हेतु सेवा-शर्तें पृथक से तय की जायेंगी।

(7) आयोग हेतु बजट एवं कार्यालयीन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार धारू, उपसचिव.